



# क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

वरदान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, छठी मंझील, एम. आय. डी. सी. नं. 16, वागले इस्टेट, थाने - 400 604.

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Vardan Commercial Complex, 6th Floor, M. I. D. C. Road, No. 16, Wagle Estate, Thane - 400 604.

सं. महा/थाने/No. MH/THN/ 202576/circle-3/PF/APP/circle-3/III दिनांक / Date : 29-6-2009

सेवा में, To, M/s. Miraj Instrumentation Services  
(I) Pvt. Ltd.,  
22, 2nd Flr., Shreeji Arcade, OPP.  
Nitin Co., Almeida Rd., Thane 400602

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 कोड संख्या का आवंटन  
Sub : Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 allotment of code number.

महोदय/ Sir,

1. मेसर्स \_\_\_\_\_ उद्योग/स्थापना अपनी सभी शाखाओं एवं विभागों सहित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन निर्मित योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दिनांक \_\_\_\_\_ से लायी जाती है।  
The factory / establishment M/s. Miraj Instrumentation Services (I) Pvt. Ltd. with all its branches and departments are brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 2-5-2009

इसे कोड संख्या महा/थाने/ \_\_\_\_\_ आवंटित किया गया है। इस कार्यालय के साथ होने वाले भविष्य के सभी पत्राचार में यह संख्या उद्धृत की जाए।  
A code No. M.H/THN/ 202576 has been allotted to it. This number may be quoted in all future correspondence with this office.
2. इस कार्यालय को उपलब्ध सूचना अनुसार -  
As per information available with this office -

(A) आपका उद्योग \_\_\_\_\_ में आवंध है जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों में से एक है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) लागू होती है।  
Your factory is engaged in \_\_\_\_\_ which is one of the industries specified in Schedule I of the Act to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a)

(B) आपकी स्थापना \_\_\_\_\_ के रूप में वर्गीकृत है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा (1) 3 (बी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना लागू की गयी है।  
Yours is an establishment classified as Expert Services to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.
3. आपके आवेदन संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वेच्छिक आधार पर यह कोड संख्या आवंटित की जाती है। यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा 4 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना का एक लम्बित मामला है।  
This code number is allotted with reference to your application No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ for extension of Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1(4) the Act, on voluntary basis. This is pending issue of a notification by the Government of India under Sub-Section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

- |       |                                                                                                           |                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ii)  | प्रशासनिक प्रभार न्यूनतम 5 रु. के अधीन<br>Administrative charges @<br>(subject to a minimum of Rs. 5/-)   | कर्मचारी भविष्य निधि खाता सं. 2 में जमा होना है।<br>To be deposited in Employees<br>Provident Fund Account No. 2.       |
| (iii) | नियोक्ता के हिस्से के 8.33% की दर से पेंशन अंशदान<br>Pension contributions<br>@ 8.33% of employer's share | कर्मचारी परिवार पेंशन निधि खाता सं. 10 में जमा होना है।<br>To be deposited in Employees<br>Pension Fund Account No. 10. |

नोट : प्रशासनिक प्रभार की दर वेतन का 1.10 है जैसे, मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ता-भोजन छूट के नकद मूल्य सहित प्रतिधारित भत्ता यदि कोई हो।

Note : The rate of administrative charges is 1.10 percent of pay reckoned for PF contribution.

8. उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अंतर्गत खाता सं. 21 एवं 22 में भी निम्नानुसार राशि जमा करनी है।

In addition to the above deposits, amounts in Account Nos. 21 & 22 under the Employees' Deposit linked Insurance Scheme, 1976 are also to be made in the manner indicated below.

- |      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i)  | निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि खाता सं. 22<br><br>Deposit Linked Insurance Fund<br>Account No. 21 | इस खाते में अंशदान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रत्येक माह दी जाने वाली कुल मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ता यदि कोई हो, का 0.5% की दर से जमा करनी है।<br>Payable by employer every month @ 0.5% of wages reckoned for P. F. contribution of all subscribers.                                                                                 |
| (ii) | बीमा निधि प्रशासन<br>खाता सं. 22<br><br>Insurance fund Administration<br>Account No. 22     | इस खाते के लिए नियोक्ता द्वारा प्रत्येक माह दिया जाने वाला प्रतिधारित भत्ता यदि कोई हो, मंहगाई भत्ता, भोजन छूट के नकद मूल्य सहित तथा कुल मूल मजदूरी का 0.01% की दर से प्रशासनिक प्रभार जमा करें जो प्रत्येक माह न्यूनतम 2/- रु. के अधीन है।<br>Payable by Employer @ .01% of wages reckoned for P. F. contribution of all subscribers. |

9. निम्नलिखित रिटर्न/प्रपत्र इत्यादि भविष्य निधि कार्यालय को निम्नवत प्रस्तुत किए जाने हैं :-

The following returns / form etc. are to be forwarded to PF office as explained -

- |       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i)   | कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अन्तर्गत सं. 9 तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रपत्र सं. 3 (क. पे. बो.)<br><br>Form No. 9 under the EPF scheme 1952 and 3 (EPS) under the EPS 95 | अधिनियम/योजना के अन्तर्गत आच्छादित स्थापना/उद्योग की तिथि से बनने वाले प्रत्येक सदस्यों के संबंध में उन पात्र कर्मचारियों के लिए ये प्रपत्र एक बार ही प्रस्तुत अन्तर्गत करें।<br>These are to be forwarded once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/establishment is covered under the Act / Scheme.                       |
| (ii)  | क० म० नि० योजना 1952 क० पें० योजना 1995 के अन्तर्गत प्रपत्र सं. 2 (संशोधित)<br><br>Form No. 2 (revised) under the EPF Scheme, 1952 and also under EPS 95                               | प्रत्येक सदस्य द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इनमें दो प्रतियों में तथा लेकर तुरंत प्रस्तुत करें।<br>These are to be obtained in duplicate from every member and forwarded immediately after joining the fund.                                                                                                                                                                       |
| (iii) | प्रपत्र सं. 5 - ए<br>From No. 5A                                                                                                                                                       | इसे तुरंत तथा जब कभी स्वमित्व का बदलाव हो प्रस्तुत करें।<br>This is to be forwarded immediately and also whenever change in ownership occurs.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (iv)  | प्रपत्र सं. 3 - ए<br>From No. 3A                                                                                                                                                       | इसे उस प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में प्रत्येक माह तैयार करना है जो भविष्य निधि कार्यालय प्रस्तुत करें। निधि का सदस्य है तथा प्रपत्र सं. 6 ए के साथ वर्ष की समाप्ति पर भविष्य निधि कार्यालय प्रस्तुत करें।<br>This is to be maintained every month in respect of every employee who is a member of PF and forwarded to PF office the close of the financial year along with the form 6A below. |
| (v)   | प्रपत्र सं. 6 - ए<br>From No. 6A                                                                                                                                                       | यह अंशदान का वार्षिक रिटर्न है तथा इसे वैयक्तिक प्रपत्र सं. 3-ए के साथ प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करें।<br>This is the annual return of contributions and is to be forwarded to office within 30 days of the close of the every financial year alongwith individual form 3A.                                                                       |

(vi) प्रपत्र सं. 12 - ए  
From No. 12A

यह अंशदान का मासिक रिटर्न है तथा इसे प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रस्तुत करें। इस प्रपत्र के साथ उपरोक्त पैरा 7 एवं 8 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए गए चालान की प्रतियां भी संलग्न करें।

This is the monthly return of contributions and is to be forwarded by 25th of every month. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India as per para 7 & 8 above are to be attached with this forms.

(vii) प्रपत्र सं. 5 & 10  
From Nos. 5 & 10

ये उन कर्मचारियों का रिटर्न है जो नए सदस्य बने हैं अथवा जिन्होंने माह में नौकरी छोड़ दी है। इसे प्रत्येक माह की 25 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करें।

These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month. This is to be forwarded to office by 25th of every month.

10. जैसा कि ऊपर है, आपकी स्थापना/उद्योग आबंधित कोड संख्या महा/..... है। प्रपत्र सं. 9 के अनुसार क्रमबद्ध रूप में आप सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अलग से खाता सं. आबंधित कर सकते हैं। वैयक्तिक खाता संख्या महा/धाने/...../1, महा/धाने/..... 2, महा/धाने...../3, या इसी प्रकार आगे भी होंगी। एक बार सदस्य को आबंधित की गयी संख्या किसी भी तरह दूसरे सदस्य को आबंधित नहीं की जाणी चाहे उसका खाता बन्द हो गया। इस प्रकार आबंधित की गयी खाता संख्या प्रत्येक सदस्य को सूचित करें तथा वे इस संख्या को सभी पत्राचार में कार्यालय उद्धरण के लिए बताने के लिए बत सकते हैं।

As stated above, the code number allotted to your factory / establishment is MH/THN 202546. The account number for individual members may be allotted serially as it appear in form No. 9. The individual member should be prefixed by the code number allotted to the establishment. Thus the Account number of individual members will be MH/THN/ 202546 /1, MH/THN/ 202546 /2, MH/THN/ 202546 /3 and so on. Account number once allotted to a member should in no case be allotted to another member even after the closing of his account. The account number allotted may be intimated to each member and to the quoted is all correspondence with this office.

11. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निधि के रूप में देब राशि का भुगतान निर्धारित समय से किया गया है। भुगतान में की गयी किसी भी देरी के लिए धारा 7-क्यू के अन्तर्गत न्याय तथा पैरा 14-बी के अन्तर्गत नुकसान का उद्ग्रहण किया जाता है। अधिनियम अथवा योजना के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के लिए विभिन्न दण्ड विधानों को लागू किया जा सकता है।

It is important to ensure that the amount due to the fund is paid within the prescribed time limit. Damages under para 1 4B and interest under Section 7Q are levied for any delays in making payments. Various penal provisions could also be revoked for any violation of the provisions of the Act or the Schemes.

12. इस कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी आपकी स्थापना का दौरा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आवश्यक सहयोग करें। अगर आपको कोई कठिनाई हो अथवा दिशा - निर्देश चाहते हैं तो कृपया निम्नकोच इस कार्यालय से संपर्क करें।

An Enforcement Officer of this office will be visiting your establishment. You are requested to afford him necessary cooperation. If you experience any difficulty or need any guidance, please feel free to contact this office.

सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन।  
Assuring you all cooperation,

भवदीय,  
Your faithfully,

क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी

Regional Provident Fund Commissioner

Maharashtra

D. G. MALWADE

Regional Provident Fund Commissioner

Regl. Office Mumbai-II

Thane.

प्रति : 1) लेखा अनुभाग  
2) प्रवर्तन अधिकारी  
C.C. : 1) Coordination - II